क्रम-संख्या—180

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 30 जुलाई, 2004

श्रावण 08, 1926 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1061/सात–वि-1—1(क)18–2004

लखनऊ, 30 जुलाई, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 पर दिनांक 30 जुलाई, 2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2004

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2004)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

(2) यह 5 जुलाई, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 26 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2–संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(ङङ) 'निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी से है जिसे किसी जिले में निर्वाचक नामावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो;

(ङङङ) 'सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो।"

धारा 9 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (8) में शब्द "राज्य निर्वाचन आयोग" के स्थान पर शब्द "निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2004 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2004

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 9 के अधीन किसी निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, परिवर्द्धन या उपान्तरण करने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है किन्तु व्यावहारिक रूप में किसी निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, परिवर्द्धन या उपान्तरण का कार्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। नागर स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली में परिवर्तन, परिवर्द्धन या उपान्तरण करने की व्यवस्था है। अतएव यह विनिश्चय किया गया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को, परिभाषित करने तथा किसी निर्वाचक नामावली के किसी प्रविष्टि में सुधार करने, उसे हटाने या उसमें परिवर्द्धन करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सशक्त करने की व्यवस्था के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाए।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 2004 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11 सन् 2004) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
धर्मवीर शर्मा,
प्रमुख सचिव।

No. 1061(2)/XVII-V-1–1(KA)-18–2004

Dated Lucknow, July 30, 2004

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Sanshodhan) Adhiniyam, 2004 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2004) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 30, 2004.

THE UTTAR PRADESH PANCHAYAT RAJ (AMENDMENT) ADHINIYAM, 2004

(U.P. ACT NO. 12 OF 2004)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Act, 2004.

(2) It shall be deemed to have come into force on July 5, 2004.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 26 of 1947

2. In section 2 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause *(e)*, the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"*(ee)* 'Electoral Registration Officer' means an officer designated or nominated as such by the State Election Commission in consultation with the State Government for preparing and revising the electoral rolls in a district;

(eee) 'Assistant Electoral Registration Officer' means a person appointed as such by the Electoral Registration Officer for one or more Panchayat areas."

Amendment of section 9

3. In section 9 of the principal Act, in sub-section (8) *for* the words "State Election Commission", the words "Electoral Registration Officer or Assistant Electoral Registration Officer" shall be *substituted*.

U.P. Ordinance no. 11 of 2004

Repeal and saving

4. (1) The Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2004 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The power to make alteration, addition or modification in an electoral roll has been vested in the State Election Commission under section 9 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 but practically the work of alteration, addition or modification in an electoral roll is being done by the Electoral Registration Officer. In the Acts relating to urban local bodies provides for making alteration, addition and modification in an electoral roll by the Electoral Registration Officer. It was, therefore, decided to amend the said Act to provide for defining the Electoral Registration Officer and the Assistant Electoral Registration Officer and for empowering the Electoral Registration Officer and the Assistant Electoral Registration Officer to correct, delete or add any entry of an electoral roll.

Since the State Legislature was not in Session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Panchayat Raj (Amendment) Ordinance, 2004 (U.P. Ordinance no. 11 of 2004) was promulgated by the Governor on July 2, 2004.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
D.V. SHARMA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 276 राजपत्र (हि०–(696)–2004–597–कम्प्यूटर/आफसेट।
पी०एस०यू०पी० ए०पी० 98 सा० विधायी–(697)–31.7.2004–850–कम्प्यूटर/आफसेट।